

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 1984/चैत्र 13, 1906
No. 154] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 1984/CHAITRA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1984

का. आ. 239(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 8 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 321 (अ), तारीख 19 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के उपाबंध-1 में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

3. श्री बी. बी. सिंह,
सचिव
रसायन और उर्वरक तंत्रालय—सदस्य”

[सं. 7(7)/83-अधिधि 2]

ई. एन. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

Office of Development Commissioner (Drugs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1984

S.O. 239(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 8 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Chemicals and Fertilizers No. S.O. 321(E), dated the 19th April, 1983, namely :—

In annexure I to the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

“3. Shri B. B. Singh,
Secretary
Ministry of Chemicals and Fertilizers—Member”.

[No. 7(7)|83-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.